संख्या-41/2022/958/22-4-2021-119(ब)/2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 24 मार्च, 2022

विषयः-प्रदेश की कारागारों एवं माननीय जनपद न्यायालयों में चरणबद्ध रूप से क्रियाशील की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के प्रथम चरण में स्थापित 14 वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाईयों में से अवशेष 07 इकाईयों के पुनर्स्थापन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11547/आधु-1/वीसी/2021, दिनांक-11.05.2021 एवं पत्र संख्या-21169/आधु-2/वीसी/2021, दिनांक-16.08.2021 एवं पुनर्विनियोग शासनादेश संख्या-586(1)/22-4-2019-100(ब)/19टीसी, दिनांक-17.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या-25/2021/220/22-4-2021-119(ब)/2000टीसवी-8(ए), दिनांक-25.02.2021 द्वारा प्रदेश की कारागारों एवं माननीय जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हेतु रू0 207-25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 111.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों एवं मा0 जनपद न्यायालयों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के प्रथम चरण में स्थापित 14 वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाईयों में से 07 इकाईयों के पुर्नस्थापन के पूर्ण होने के पश्चात अवशेष 07 इकाईयों क्रमशः जिला कारागार, वाराणसी, मिर्जापुर, केन्द्रीय कारागार, नैनी (प्रयागराज) एवं जनपद न्यायालय कानपुर नगर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपकरणों की पुर्नस्थापन की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु अवशेश धनराशि रू0 96,13,000/- (रूपया छियानवे लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई /महानिरीक्षक, कारागार द्वारा पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली-26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E-12-3540-X-2021-22-, दिनांक-22.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 41/2022/958(1)/22-4-2021, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in